

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19, 2013/पौष 29, 1934

No. 196]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 2013/PAUSA 29, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2013

का.आ. 212(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 306.080 कि. मी. से 408.620 कि.मी. तक के भू-खण्ड (पोरबंदर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर, कुतियाना, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 308.080 कि.मी. से 408.620 कि.मी. तक (पोरबंदर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम.संख्या.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पोरबंदर	2 राणादाव	1 धरमपुर	1/2/A	निजी	बिन खेती	0.7200
				1/2/B/1	सरकारी	खराबा	6.4800
				1/2/B/2	निजी	खेती	2.1600
				1/2/A/2	निजी	खेती	0.8160
				2/13	सरकारी	खराबा	12.4600
				2/2	सरकारी	खराबा	0.0960
				2/5	सरकारी	खराबा	3.6960
				14	निजी	खेती	0.1320
			2 बनाना	5	सरकारी	गौचर	0.2400
				4/1	निजी	बिन खेती	1.7280
				3	सरकारी	गौचर	0.3600
				4/2/3	निजी	खेती	0.0140
				4/2/2	निजी	खेती	1.2480
				4/2/1	निजी	खेती	0.7200
				7	सरकारी	खराबा	2.1120
				8	निजी	खेती	0.0150
				9	सरकारी	गौचर	0.7200

[फा. सं. भाराराप्रा/11011/गुजरात/राजकोट/एलए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2013

S.O. 212(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.8E (Extension) , in the stretch of land from Km. 306.080 to Km. 408.620 (Porbandar Section) in the district of Porbandar in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Kutiyana. in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 306.080 to km 408.620 (Porbandar section) of National Highway No.-8E (Ext.) in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Porbandar	2 Ranavav	(1) Dharampur	1/2/A	Private	Non Agricultural	0.7200
				1/2/B/1	Government	Kharaba	6.4800
				1/2/B/2	Private	Agricultural	2.1600
				1/2/A/2	Private	Agricultural	0.8160
				2/13	Government	Kharaba	12.4600
				2/2	Government	Kharaba	0.0960
				2/5	Government	Kharaba	3.6960
				14	Private	Agricultural	0.1320
			(2) Vanana	5	Government	Gauchar	0.2400
				4/1	Private	Non Agricultural	1.7280
				3	Government	Gauchar	0.3600
				4/2/3	Private	Agricultural	0.0140
				4/2/2	Private	Agricultural	1.2480
				4/2/1	Private	Agricultural	0.7200
				7	Government	Kharaba	2.1120
				8	Private	Agricultural	0.0150
				9	Government	Gauchar	0.7200

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.